छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक / 01 / छगविस / संपदा–24 / 2024–25 रायपुर, दिनांक 27/09/2024

–: निविदा आमंत्रण :–

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के उपयोगार्थ ए–3 साईज कॉपी प्रिंटर मशीन (रीजोग्राफ) क्रय किये जाने हेतु पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित फर्मों से दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को सायं 04.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । निविदा की विस्तृत शर्तें एवं जानकारी जीरों पांईट, विधान नगर, बलौदाबाजार रोड स्थित, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के 'संपदा शाखा' से कार्यालयीन दिवसों में सोमवार से शुक्रवार तक सायं 04 बजे तक प्राप्त की जा सकती है साथ ही जानकारी, वेबसाईट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी उपलब्ध हैं ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक/01 /छगविस/संपदा–24/2024, दिनांक 27.09.2024 के संबंध में निविदा की शर्ते एवं जानकारी

1. निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म का वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन होना अनिवार्य है, एव इसकी पुष्टि में आवश्यक दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न करना होगा ।

2. वित्त वर्ष 2022–23, 2023–24, एवं 2024–25 अर्थात विगत 03 वर्षों के आयकार गणना पत्र की छायाप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।

3. उत्पाद के विक्रय हेतु अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र की भी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा ।

4. ए–3 साईज की कॉपी प्रिंटर मशीन (रीजोग्राफ) हेतु प्रस्तावित दर में समस्त कर सम्मिलित होने चाहिए अर्थात उल्लेखित दर के अतिरिक्त कोई अन्य व्यय पृथक से नहीं होने चाहिए, साथ ही प्रस्तावित दर किस तिथी तक वैध होंगे इसका उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए ।

5. निविदाकार द्वारा प्रस्तावित मशीन का ब्रोशर संलग्न करना होगा साथ ही मशीन की समस्त प्रमुख स्पेसिफिकेशन एवं उसमें उपलब्ध सुविधाओं का उल्लेख पृथक से एक पृष्ठ पर उल्लेखित करते हुए संलग्न करना होगा ।

6. प्रस्तावित मशीन का कुल जीवनकाल अथवा कितने लाख पृष्ठों का प्रिंट लिया जा सकता है का उल्लेख हो । मशीन के संबंध में उसकी गारंटी/वारंटी का भी स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य होगा ।

7. प्रदाय की जानी वाली मशीन के संबंध में दिये जाने वाले ग्यारंटी/वारंटी कितनी वर्षों की होगी, स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा ।

8. मशीन के विक्रय मूल्य के साथ ही मशीन के रख–रखाव हेतु दर का भी उल्लेख करना आवश्यक होगा ।

9. इस सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदाकारों द्वारा विक्रय हेतु प्रस्तावित मशीन का डेमो प्रथमतः इस सचिवालय में रखना होगा ताकि चयनित मशीन के संबंध में वे दरें प्रस्तुत कर सकें ।

क्रमशः 2/–

10. उक्त हेतु होने वाले व्यय का सम्पूर्ण भार प्रस्तावक का ही होगा, न कि इस सचिवालय का ।

11. अंतिम रूप से क्रय की स्थिति में इस सचिवालय के निर्धारित ऑपरेटरों को मशीन के संचालन का निःशुल्क प्रशिक्षण भी संबंधित प्रस्तावक फर्म को देना होगा एवं एक बार प्रशिक्षण के बावजूद यदि आवश्यक होने पर पश्चात भी प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा ।

12. निविदाएं मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावेंगी एवं निविदा के साथ अमानत राशि स्वरूप रूपये 25,000.00 (रूपये पचीस हजार) मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की एफ.डी (सावधी जमा), संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो कि सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर के नाम पर देय होगा ।

13. अमानत राशि के आभाव में प्रस्ताव प्रथम दृष्टया अमान्य हो जावेगा ।

14. यह आवश्यक है कि उक्त अमानत राशि एक पृथक लिफाफे में हो । अर्थात 01 अमानत राशि का लिफाफा एवं 01 मशीन का दर प्रस्तावित करते हुए आवश्यक दस्जावेज युक्त अलग लिफाफा इस तरह दो अलग–अलग लिफाफे, एक मुख्य लिफाफें में रखकर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

15. निविदा प्रस्ताव विधान सभा भवन स्थित ''संपदा शाखा'' में दिनांक 21/10/2024 को सायं 04.00 बजे तक जमा किया जा सकेगा । निर्धारित समय सीमा के पश्चात् निविदाएं किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जावेंगी ।

16. चयनित फर्म के द्वारा मशीन का प्रतिष्ठापन विधान सभा सचिवालय में स्वंय के व्यवस्था एवं व्यय पर किया जावेगा ।

17. मशीन के प्रदाय अथवा रखरखाव के संबध में फर्म यदि अन्य कोई रियायत, सुविधाएं अथवा सेवाएं देना चाहती हों तो तत्संबंधी उल्लेख भी किया जाए ।

18. मशीन पर कितनी फ्री सर्विस उपलब्ध कराई जावेंगी, का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

19. चयनित फर्म के संबंध में उनकी अमानत राशि सुरक्षा निधि में परिवर्तित हो जावेगी जो मशीन के गारंटी/वांरटी अवधि के समाप्त होने के पश्चात, निविदाकार के लिखित मांग पर वापसी योग्य होगी ।

क्रमशः 3/–

20. निविदा को मान्य या अमान्य करने का सम्पूर्ण अधिकार सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा के पास सुरक्षित होगा ।

21. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा का होगा ।

22. उपरोक्त समस्त शर्तों के स्वीकारोक्ति में प्रस्तावक को इस पर हस्ताक्षर करने संलग्नित करना होगा ।

उपरोक्त समस्त शर्तों की स्वीकारोक्ति में
निविदाकार के हस्ताक्षर तथा सील